राजस्व (Public Finance)

वित्तीय प्रशासन

(Financial Administrative)

वित्तीय प्रशासन से आशय है,

सरकार की वित्तीय मामलों का नियमन नियंत्रण एवं उनकी सुचारु रूप से व्यवस्था करना है।

- वित्तीय प्रशासन विज्ञान के रूप में राजकीय विधि को नियंत्रित करने सम्बंधी निश्चित सिद्धान्तों एवं नियमों का निर्माण करता है

- कला के रूप में यह सरकारी संगठन का भाग माना जाता है। जो राजकोषीय कोषों को एकत्रित एवं वितरण संबंधी कार्यों को करके उनके नियंत्रण का अध्ययन करता है।

गैस्टन जेज के अनुसार, “प्रशासन शासकीय संगठन का भाग है जो कि राजकीय आय एवं व्यय में समन्वय, राज्य की ओर से साख की क्रियाओं के प्रबंध तथा जनता के वित्तीय क्रियाओं की सामान्य नियंत्रण के साथ सार्वजनिक कोषों के संग्रहण, संरक्षण एवं वितरण से संबंधित होता है”।

इस प्रकार,

वित्तीय प्रशासन में सार्वजनिक वित्त को नियंत्रित करने तथा उनकी समुचित व्यवस्था करने हेतु निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है तथा इन्हीं सिद्धांतों एवं नियमों को कार्यरूप में पारित करने के प्रयास किए जाते हैं। वित्तीय प्रशासन के मुख्य अंगों में बजटिंग, लेखाकर्म, अंकेक्षण क्रय एवं पूर्ति को सम्मालित किया जाता है।

अर्थशास्त्र के सभी विषयों एवं कक्षाओं के नोट्स, प्रश्नोत्तर, सैंपल पेपर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विगत वर्षों के प्रश्नपत्र, अभ्यास प्रश्नपत्र (हिंदी या अंग्रेजी माध्यम) के PDF आपको www.theeconomicsguru.com पर मिल जायेंगे।

इसके साथ ही सभी हिंदी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए Free **LIVE CLASS** भी उपलब्ध है, हमारे **YOUTUBE CHANNEL "THE ECONOMICS GURU"** पर । अभी **subscribe** कर लीजिये और ज्यदा से ज्यादा **शेयर** कर दीजिये अपने दोस्तों के बीच।

किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे सम्पर्क कर सकते है, YOUTUBE के कमेंट बॉक्स में कमेन्ट करें या वेबसाइट के Email वाले Option में जाकर **Email** करे या WhatsApp कर सकते है (Website में लिंक दिया गया है।

धन्यवाद

नकुल ढाली

The Economics Guru

लाभार्थी बोर्ड:

CBSE, UK Board, UP Board, Bihar Board, MP Board, CG Board, Rajasthan Board, Haryana Board

साथ ही **BA; B.COM; MA** के सभी SEMESTER लिए भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध है।

अभी VISIT करें www.theeconomicsguru.com

Subscribe my **YOUTUBE** channel **THE ECONOMICS GURU**

Follow me:

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

Facebook- *Nakul Dhali*

Instagram- *@dhalinakul*

वित्तीय प्रशासन का क्षेत्र
(Scope of Financial Administration)

वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में निम्न बातों को सम्मिलित किया जाता है-

- सार्वजनिक कोषों का संग्रह, संरक्षण तथा वितरण।
- सार्वजनिक आय तथा व्यय का समायोजन।
- सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था।
- सरकारी वित्तीय मामलों का नियमन तथा नियंत्रण।

- ***आय के स्रोत*** देश के **संविधान या संसद** द्वारा तय किए जाते हैं, जबकि **कार्यकारणी सभा** ***आय तथा ऋणों का संगठन*** करती है।
- ***लेखों की जांच पड़ताल*** **लेखा तथा अंकेक्षण विभाग** करता है तथा **धन के कोषों** के लिए *कोषागार पद्धति* को अपनाया जाता है जिसमें देश का **केंद्रीय बैंक** सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है।
- **कार्यकारिणी सभा** वित्त मंत्रालय की सहायता से **आय तथा व्यय के अनुमान** तैयार करते हैं और इन्हें स्वीकृति हेतु **संसद** के सम्मुख रखा जाता है।
- **नियंत्रण की कुशलता** को बनाए रखने की दृष्टि से समय समय पर आय व व्यय संबंधी रिपोर्ट तैयार की जाती है।

वित्तीय प्रशासन के तत्व व यंत्र
(Elements and Mechanism of Financial Administration)

किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उस देश की आर्थिक क्रियाओं की अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। वित्तीय प्रशासन के मुख्य यन्त्र निम्न है-

1. **उत्तरदायित्व की समस्या-** धन को व्यय करते समय अनेक बातों में से ईमानदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे पूंजी का दुरुपयोग न हो सके। कोष प्राय: सरकार से प्राप्त होते हैं और विशेष कार्यक्रमों पर संसद की स्वीकृति से व्यय किए जाते हैं।
2. **राजकोषीय नीति का निर्धारण-** जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नवीन विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते हैं तथा इनके लिए धन लगाने की नीति का निर्धारण करते हैं।

3. **प्रबंधन तत्व**- इसमें वित्तीय संगठन व वित्तीय प्रशासन को सम्मालित किया जाता है वित्तीय प्रशासन की व्यवस्था निम्न ढंग से होती है।
4. **प्रबंध की तैयारी**- इसमें आय व व्यय की अनुमान तैयार किए जाते हैं, जो पूरे वर्ष के लिए होते हैं।
5. **स्वीकृति**- बजट पर व्यवस्था की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक माना जाता है।
6. **राजकोष प्रबंध**- संग्रहित धन के कोषागार में रखा जाता है तथा वहीं से आवश्यक भुगतान के आदेश पारित किए जाते हैं।
7. **बजट का क्रियान्वयन**- बजट स्वीकृत हो जाने पर उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है।
8. **विधायी उत्तरदायित्व**- कार्यपालिका के लेखों पर नियंत्रण रखा जाता है और इस कार्य के लिए **'जनलेखा समिति'** की स्थापना की जाती है।

वित्तीय प्रशासन के सिद्धान्त
(Principles of Financial Administration)

वित्तीय प्रशासन की कुशलता है तो नियमित सिद्धांतों की रचना की गई है-

सरलता एवं नियमितता का सिद्धांत

वित्तीय प्रशासन ने सरलता का गुण होना चाहिए तथा समय का उचित पालन किया जाना चाहिए। प्रशासन कार्य में अनावश्यक जटिलता नहीं आनी चाहिए तथा स्वीकृति में भी विलंब नहीं होना चाहिए। स्वीकृति समय के अंतर्गत एवं सरलता से प्राप्त की जानी चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखा जाना चाहिए कि वित्तीय प्रशासन में लालफीताशाही को समाप्त करके कार्यप्रणाली में सरलता लाई जाए।

सप्रभाविक नियंत्रण का सिद्धांत

कार्यकारिणी एवं विधानसभा की ओर से वित्तीय क्रियाओं का प्रभावपूर्ण नियंत्रित होना चाहिए, जिससे अव्यवस्था न हो। वित्तीय प्रशासन को कुशल बनाने के लिए उस पर वित्तीय नियंत्रण होना चाहिए, जिससे उसने आय व व्यय के परिवर्तन करने के लिए पूर्ण अधिकार होने चाहिए। इस संबंध में **उप समितियों** का गठन किया जाना चाहिए, जो समय समय पर वित्तीय **अधिकारियों की कुशलता की जांच पड़ताल** करें। इस संबंध में **अनियमितता होने पर उचित कार्रवाई** की जानी चाहिए। वित्तीय क्रिया को उचित ढंग से चलाने के लिए यह

आवश्यक होगा कि प्रत्येक अधिकारी नियमों का पालन करें तथा आय एवं व्यय के संबंध में पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करें।

संगठन की एकता का सिद्धांत

संपूर्ण वित्तीय प्रशासन पर केंद्रीय नियंत्रण एवं उत्तरदायित्व होना चाहिए अर्थात **संगठन में एकत्रीकरण** होना चाहिए। प्रशासन की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति का पता सरलता से लगाया जाए। जो किसी कार्य विशेष के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। यदि वित्तीय प्रशासन का कार्य योगी एवं ईमानदार व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

कार्य-संचालन का सिद्धांत

प्रजातांत्रिक शासन उसी समय के शुद्धतापूर्वक चल सकता है जबकि वित्तीय मामलों में विधानसभा की इच्छा अनुसार कार्य किया जा सके। वित्तीय प्रशासन में जनता के हितों की रक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संबंध में यह आवश्यक है कि वित्तीय प्रशासन जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में ही रहे।

संविधान में वित्तीय संबंधी निम्न अधिकार जनता को प्राप्त होते हैं-

संसद की स्वीकृति - संसद की स्वीकृति के अभाव में कोई भी व्यय नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए पूर्व सहमति प्राप्त करनी होती है।

सार्वजनिक आय-व्यय करना - संसद की स्वीकृति के आधार पर ही कार्यकारिणी को सार्वजनिक आय- व्यय करना चाहिए।

जनता की स्वीकृति - किसी भी कर को जनता के प्रतिनिधियों की स्वीकृति के बिना नहीं लगाना चाहिए।

एकरूपता का सिद्धांत

वित्तीय प्रशासन में कुशलता लाने के लिए कार्यों का विभाजन किया जाता है, जिसके लिए विभिन्न अंगों में एकरूपता होनी चाहिए। सभी अंगों का समान उद्देश्यों तथा उनके ऊपर सर्वोच्च सत्ता का नियंत्रण होना चाहिए।

भारत में वित्तीय नियंत्रण

भारत में राजकीय वित्त पर निम्न संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है-

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry)

सभी प्रकार के मसले पर केंद्र में वित्त मंत्रालय द्वारा तथा प्रांतीय स्तर पर वित्त विभागों द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, इसके मुख्य कार्य यह देखना है कि सरकारी विभागों में धन के व्यय करने में मितव्ययिता का पालन किया गया है या नहीं।

वित्त मंत्रालय का मुख्य कर्तव्य यह देखना है कि सरकारी विभागों में उचित रूप से खर्चा किया है या नहीं। विभिन्न विभागों के आय एवं व्यय में आवश्यक समन्वय लाने के प्रयास वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं।

वित्त मंत्रालय को दो भागों में विभाजित किया गया है -

i) आय - व्यय विभाग
ii) आर्थिक कार्यों का विभाग

कोषागार संबंधी कार्य आय- व्यय विभाग के पास रहता है तथा **बजट संबंधी कार्य** आर्थिक कार्यों की विभाग पर रहता है।

विधानसभा (Legislature)

वित्त संबंधी समस्त मामलों पर विधायिका को ही सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए यह **नियम बनाने वाली सभा** भी कहा जाता है। नवीन करो को लगाना, पुराने कारों में परिवर्तन करना आदि सभी कार्य इसके अंतर्गत आते हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य में व्यय होने वाली राशि का निर्धारण भी इसी को करना पड़ता है। तथा सार्वजनिक ऋण संबंधी नीतियों का पालन भी किया जाता है।

इस प्रकार इस सभा के द्वारा वहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है, आदि बातों के निर्देश कार्यकारिणी को दिए जाते।

कार्यकारिणी नियम बनाने वाले सभा के सामने अनेक प्रस्तावकों को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें स्वीकार करना तथा अस्वीकार करना इस सभा पर निर्भर करता है।

पी। अपने कार्यों की सहायतार्थ यह दो समितियों का गठन करते हैं। जो इस प्रकार है-

अनुमान समिति (Estimate Committee)-

धारा सभा में 10 विशेषज्ञों को लेकर एक समिति का निर्माण किया जाता है जिसे अनुमान समिति कहते हैं। यह समिति व्ययों में मितव्ययता लाने की दृष्टि से आवश्यक सुझाव प्रदान करती है।

लोकसेवा समिति (Public Service Committee)-

धारा सभा के सदस्यों में से भी 10 सदस्यों को लेकर एक लोक सेवा समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का मुख्य कार्य ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर विचार करके अपने निर्णय देना है । इस समिति के प्रमुख कार्य निम्न है-

- ब्योरा का निरीक्षण
- धन का विनियोग
- स्टॉक की जांच
- व्यय से सहमत
- धन विनियोग की छानबीन करना

कार्यकारिणी सभा (Executive)

यह सभा संपूर्ण देश के लिए एक सामान्य नीति निर्धारित करती है तथा विभिन्न अधिकारियों के शासन संबंधी कर्तव्य, उनके वेतन व अवकाश की अवधि तथा पेंशन आदि को निश्चित करते हैं। ये समिति निम्न कार्य करती है-

- प्राथमिकता का निर्धारण।
- कुशलतापूर्वक वितरण।
- सुझाव देना।

जांच समिति (Audit Department)

कुशल वित्तीय व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक व्यय की जांच स्वतंत्र जांच अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। यह भारत में यह अधिकारी **महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General- CAG)** होता है। जिससे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र

होता है और कार्यकारिणी स्वभाव की त्रुटियों को नियम बनाने वाले सभा के सामने रखता है। इस निरीक्षक को निम्न कार्य करने पड़ते हैं-

स्वीकृति नियमानुसार व्यय- ये विभाग इस बात की पूरी देखभाल करता है कि व्यय करते हैं तो जो राशि विधायिका वाला कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत की गई उसी के अनुरूप व्यय हो रहा है या नहीं? यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह विभाग व्यय करने पर रोक लगा सकता है।

वैधानिक अधिकार- इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी धन बिना वैधानिक अधिकार प्राप्त किए व्यय ना किया जाए।

भारत में वित्तीय प्रशासन

वित्तीय प्रशासन के संबंध में संघीय संविधान में तीन आधारभूत प्रावधानों का वर्णन किया गया है-

i) भारत में कोई भी कर कानूनी अधिकारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ना तो लगाया और न ही वसूल किया जा सकता है।

ii) सार्वजनिक आय में से कोई भी व्यय संसद की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता।

iii) प्रबंधकारणी द्वारा संसद की स्वीकृति के अनुरूप ही व्यय किया जा सकता है।

अर्थशास्त्र के सभी विषयों एवं कक्षाओं के नोट्स, प्रश्नोत्तर, सैंपल पेपर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विगत वर्षों के प्रश्नपत्र, अभ्यास प्रश्नपत्र (हिंदी या अंग्रेजी माध्यम) के PDF आपको www.theeconomicsguru.com पर मिल जायेंगे।

इसके साथ ही सभी हिंदी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए Free **LIVE CLASS** भी उपलब्ध है, हमारे **YOUTUBE CHANNEL “THE ECONOMICS GURU”** पर । अभी **subscribe** कर लीजिये और ज्यादा से ज्यादा **शेयर** कर दीजिये अपने दोस्तों के बीच।

किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे सम्पर्क कर सकते है, YOUTUBE के कमेंट बॉक्स में कमेन्ट करें या वेबसाइट के Email वाले Option में जाकर **Email** करे या WhatsApp कर सकते है (Website में लिंक दिया गया है।

धन्यवाद

नकुल ढाली
The Economics Guru

लाभार्थी बोर्ड:

CBSE, UK Board, UP Board, Bihar Board, MP Board, CG Board, Rajasthan Board, Haryana Board

साथ ही **BA; B.COM; MA** के सभी SEMESTER लिए भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध है।

अभी VISIT करें www.theeconomicsguru.com

:

Subscribe my **YOUTUBE** channel **THE ECONOMICS GURU**

Follow me:

THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

Facebook- *Nakul Dhali*

Instagram- *@dhalinakul*